

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्र. 1122/134/2016/डी-पार

भोपाल, दिनांक 12 मई, 2016

प्रति,

✓ आयुक्त,

कोष एवं लेखा,

म.प्र.भोपाल

विषय:- "ई" भुगतान अंतर्गत एक "ई-फाईल" की भुगतान सीमा में वृद्धि करने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्त, कोष एवं लेखा की एकल नस्ती क्र. 15785 सी.टी.ए./पी.ए./14,

दिनांक 5.5.16.

राज्य शासन एतद द्वारा "ई"-भुगतान हेतु एक "ई-फाईल" की सीमा में वृद्धि कर जिला कोषालय, भोपाल तथा विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल हेतु "ई-फाईल" की सीमा रु.500.00 करोड़ तथा शेष संभागीय कोषालयों वल्लभ-भवन, भोपाल, मोतीमहल ग्वालियर एवं गोरखी-ग्वालियर, नगर एवं जिला कोषालय, इंदौर, नगर कोषालय एवं जिला कोषालय जबलपुर, शिवा, सागर, उज्जैन के लिये रु.300.00 करोड़ "ई-फाईल" की सीमा निर्धारित की जाती है। शेष सभी कोषालयों/उपकोषालयों हेतु रु.100.00 करोड़ की सीमा यथावत रहेगी।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिल कुमार)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

SOC(PP)
17/5/16

पृष्ठांकन क्रमांक / 1133/ 1134/2016/डी-आर
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 12-05-2016

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर,
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
5. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
6. असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस0बी0आई0, शासकीय लेंनदेन होशंगाबाद रोड, भोपाल,
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश,
8. समस्त कोषालय अधिकारी,
9. गार्ड फाईल


(श्री. क. क. क.)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग